

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई) द्वितीय एसीपी/1994/पार्ट-III/अलेसे-III/636

दिनांक 13-10-16

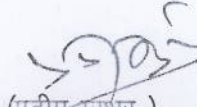
विभागाध्यक्ष/ कार्यालयध्यक्ष

विषय :- एसीपी स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके विभाग/कार्यालय में कार्यरत निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को द्वितीय एसीपी स्वीकृत करने हेतु प्राप्त प्रकरण में निम्न तालिका के कॉलम संख्या 5 के अनुसार कमियां पाई गई हैं। अतः आप संबंधित कनिष्ठ लेखाकार के प्रकरण में पाई गई कमी/आक्षेप की पूर्ति पश्चात प्रकरण इस विभाग को प्रेषित करने का श्रम करावें :-

क्र. स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	पदस्थापन स्थान	मैरिट/ बैच	कमी/आक्षेप का विवरण
1	2	3	4	5
1	जयप्रकाश लमोरिया	अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., वृत झुझुनू	251/86	वर्ष 1997-98 से 1999-2000 एवं 2001-02 से 2005-06 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अप्राप्त।
2	निरंजन सोनी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	440/94	वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.10.2015 के अनुसार दि. 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान के जन्म के कारण द्वितीय एसीपी देय होने की तिथि से 5 वर्ष तक स्वीकृति योग्य नहीं है।

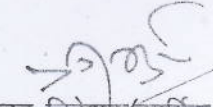

(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-III)

क्रमांक:- एफ.4(ई) द्वितीय एसीपी/1994/पार्ट-III/अलेसे-III/636

दिनांक 13-10-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- उपनिदेशक, एसीपी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित कनिष्ठ लेखाकार


संयुक्त निदेशक(कार्मिक-III)